भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1858

03 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत किस्तें

1858. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पी.एम. किसान योजना की किस्तों का अंतरण करते समय कितनी बार भुगतान विफल रहे हैं और तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा इसका उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

पीएम-किसान सतत और चालू योजना है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। इस योजना के तहत लाभ संवितरण की प्रक्रिया राज्य/केंद्र सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों की पहचान योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार और पीएम-किसान पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के साथ शुरू होती है। लाभार्थी का डेटा एक बार पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड होने के पश्चात यह आधार और बैंक खाता विवरणों की शुद्धता की पुष्टि करने वाले सत्यापन के कई स्तरों से गुजरता है। यदि डाटा का सत्यापन विफल हो जाता है, तो डाटा को सुधार के लिए संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार को वापस भेज दिया जाता है। जब डाटा संशोधित हो जाता है और सत्यापन के सभी स्तरों से पारित कर दिया जाता है, तो भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में कर दिया जाता है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार का प्रायोजित बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में निधि भेजता है। इस प्रक्रिया में पीएफएमएस द्वारा खातों के सत्यापन की विफलता, गलत खाता संख्या, खातों को बंद करने आदि के कारण लेनदेन विफल हो जाता है। लेन-देन को सफल बनाने के लिए, बैंक खातों के आवश्यक सुधार / सत्यापन के पश्चात दोबारा प्रयास किए जाते हैं।

पीएम-किसान योजना की किश्तों का अंतरण करते समय विफल लेन-देन को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध** पर है।

लो.स.अता.प्र.स. 1858

अनुबंध

दिनांक 27.02.2020 के अनुसार पीएम-किसान योजना के तहत किस्तों के विफल लेनदेन के भुगतान का विवरण।

राज्य का नाम	विफल भुगतान	विफल भुगतान	विफल भुगतान	विफल भुगतान
	दिसम्बर, 2018-मार्च, 2019	अप्रैल 2019-जुलाई, 2019	अगस्त 2019-नवम्बर 2019	दिसम्बर 2019-मार्च 2020
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	764	1,314	6,977	36
आंध्र प्रदेश	13,283	33,439	53,014	29,154
अरुणाचल प्रदेश	197	194	24	5
असम	10,787	10,214	8,407	4,162
बिहार	7,723	7,536	5,917	1,690
चंडीगढ़	1	1	1	1
छत्तीसगढ़	2,422	2,965	2,764	419
दादर एवं नगर हवेली	10	0	0	0
दमन और दीव	27	13	17	11
दिल्ली	29	31	33	5
गोवा	113	76	68	43
गुजरात	18,001	6,555	9,352	8,678
हरियाणा	5,117	1,263	17,578	2,785
हिमाचल प्रदेश	2,666	1,500	2,392	2,189
जम्मू और कश्मीर	10,699	1,902	1,114	1,109
झारखंड	1,930	963	1,533	560
कर्नाटक	30,931	34,622	21,834	2,543
केरल	9,490	21,552	4,730	4,295
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	2,70,229	76,165	44,052	1
महाराष्ट्र	5,32,624	1,01,588	42,519	20,026
मणिपुर	455	259	193	145
मेघालय	189	161	104	77
मिजोरम	129	154	146	31
नागालैंड	1,904	1,404	1,083	429
ओडिशा	77,273	49,008	38,201	9,425
पुदुचेरी	103	9	10	1
पंजाब	7,230	55,599	8,145	7,640
राजस्थान	51,935	26,964	6,992	4,995
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	22,357	29,908	10,820	10,321
तेलंगाना	4,747	7,025	9,404	10,815
त्रिपुरा	70	78	239	318
उत्तर प्रदेश	2,38,429	1,27,152	3,09,470	17,173
उत्तराखंड	9,025	3,031	5,157	3,994
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
सकल योग:	**13,30,889**	**6,02,645**	**6,12,290**	**1,43,076**

****